

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग


2407
15/09/17

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-1जी/मु०स्था०राज०(सूचना अधिकार)-20-34/2014अजा-2407/सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19(1) में निहित प्रावधान के तहत श्री गौतम पासवान (बि०प्र०से०), संयुक्त सचिव को अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार अभिहित (Designate) किया जाता है।


2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव


ज्ञापांक-1जी/मु०स्था०राज०(सूचना अधिकार)-20-34/2017अजा-2407 पटना, दिनांक- 15/09/17
प्रतिलिपि-सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1जी/मु०स्था०राज०(सूचना अधिकार)-20-34/2017अजा-2407 पटना, दिनांक- 15/09/17
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1जी/मु०स्था०राज०(सूचना अधिकार)-20-34/2017अजा-2407 पटना, दिनांक- 15/09/17
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक/ मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक (मु०)/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रभारी सहायक निदेशक (मु०)/लोक सूचना पदाधिकारी/ सहायक लोक सूचना पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/श्री गौतम पासवान (बि०प्र०से०), संयुक्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव